

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: पा० २८१ राज-६।।४।५।

जयपुर, दिनांक २२-०६-१४

अधिसूचना

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (वर्ष 1971 का अधिनियम सं0 12) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा जिला कलक्टर, जैसलमेर के प्रस्तावनानुसार ग्रामदानी ग्राम रिदवा, थईयात, आकल एवं भागु का गांव जिला जैसलमेर में स्थित भूमियों में से नीचे दर्शित अनुसूची अनुसार भूमि के प्रबन्धन से ग्राम सभा को एतदद्वारा निर्निहित करती है:-

अनुसूची

ग्रामदानी ग्राम	खसरा नं०	किस्म	कुल क्षेत्रफल (बीघा में)	निर्निहित क्षेत्रफल (बीघा में)
रिदवा	66	बंजड़	156-05	01-11
थईयात	224	गैर मुमकीन मगरा	115-14	01-11
आकल	125	बंजड़	120-06	06-03
भागु का गांव	150	बंजड़	148-11	01-11

राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सहायक, मा० ० राजस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
3. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
4. अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड प्रथम, जैसलमेर।
5. अधिक्षक, राज्य केन्द्रिय मुद्रणालय जयपुर को राजपत्र के विशेषांक दिनांक में प्रकाशनार्थ।
6. अध्यक्ष ग्रामदानी ग्राम रिदवा/थईयात/आकल/भागु का गांव, जिला जैसलमेर।
7. रक्षित पंजिका।

संयुक्त शासन सचिव